

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प. 4(104)नविवि/2024

जयपुर, दिनांक:

—:सूचना:—

नगरीय विकास विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं (सिविल)(डिग्रीधारी) द्वारा CGPA की गणना के आधार पर वरिष्ठता का पुर्ननिर्धारण हेतु माननीय न्यायालय में वाद दायर कर वरिष्ठता का पुर्ननिर्धारण के दिशा निर्देश विभाग को प्रस्तुत किये जा रहे हैं। अतः समान प्रकृति के अन्य कोई प्रकरण होने की सम्भावना को देखते हुए सभी कनिष्ठ अभियन्ताओं (सिविल)(डिग्रीधारी) को वेबसाईट के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि अन्य कोई समान प्रकृति का प्रकरण हो तो मय पुष्ट दस्तावेज सहित विभाग के संज्ञान में लाया जावें।

चेतावनी:— सूचना जारी करने के 15 दिवस उपरान्त वरिष्ठता संबंधी प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

(राकेश कुमार-1)  
शासन उप सचिव-तृतीय

Signature valid



Digitally signed by Rakesh Kumar  
Designation: Deputy Secretary To  
Government  
Date: 2024.12.29 12:45:31 IST  
Reason: Approved